

संख्या - 01 / मूऽग्रन्थि०(३)विभागीयमीन(फर्जी अभिलेख)-30 / 2021(खंड-२) S06

आदेश

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(मू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

पटना, दिनांक :- 18/01/2022

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबरत कार्यक्रम अन्तर्गत नवसृजित सविदा पद पर विज्ञापन संख्या - 01/2019 के आलोक में विशेष सर्वेक्षण संविदा पद पर निम्नानुकूल कर्मियों का नियोजन कॉलम - 2 में अकित पत्राक एवं दिनांक के माध्यम से करते हुए विभिन्न बंदोबरत कार्यालयों में पदस्थापित किया गया है :-

क्र०	पत्रांक दिनांक	आईटी० संख्या	नाम	पिता का नाम	पदस्थापन जिला	स्थायी पता/गृह जिला	ई-मेल	विश्वविद्यालय का नाम	विश्वविद्यालय का पत्रांक एवं दिनांक	विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	AEN02785 10681 01.09.2020	श्री जितेन्द्र कुमार राम	श्री शम्भु नाथ राम	AJAY KUMAR C/O LT RAMESHWAR RAM NEW ENGLISH WARD NO 16 BARAHIA BEHIND NEW NAGARPALIKA, Lakhisarai	Angad7377@gmail.com					
2	AEN02793	श्री विकल्प कुमार राम	श्री शम्भु नाथ राम	AJAY KUMAR C/O LT RAMESHWAR RAM NEW ENGLISH WARD NO 16 BARAHIA BEHIND NEW NAGARPALIKA, Lakhisarai	vk422366@gmail.com					
3	11364 02.12.2020	AEN04586	श्री संतोष कुमार पंडित	श्री रामदास पंडित	लखीसराय	VILL-BARNI PO-BARNI PS-DHANARUA, Jehanabad	santoshkadamb890@gmail.com			

उपरोक्त सविदा कर्मियों के नियोजन के उपरांत इनके द्वारा समर्पित डिलोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का ऐक्षणिक प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु संबंधित विश्वविद्यालय को भेजा गया था। सत्यापन संख्या - 10 में विश्वविद्यालय के ई-मेल से प्राप्त सूचना के आलोक में उपरोक्त सविदा कर्मी के ऐक्षणिक प्रमाण पत्र का सत्यापन विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर किया गया। सत्यापन संख्या - 11 में वेबसाइट पर प्रदर्शित सत्यापन सूचना के आलोक में नैसर्गिक न्याय के तहत उक्त सविदा कर्मी से फर्जी "डिलोमा इन सिविल इंजीनियरिंग" प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर नियोजन प्राप्त करने के विलक्षण निदेशालय पत्रांक 4460 दिनांक 12.12.2022 एवं पत्रांक 4461 दिनांक 12.12.2022 द्वारा 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी। संबंधित कर्मियों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण का उत्तर नियाचित अवधि में समर्पित नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि सत्यापन सूचना के संबंध में इनको कुछ नहीं कहना है। साथ ही यह भी प्रमाणित होता है कि उपरोक्त कर्मी गलत / फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त करने में सफल हो गये हैं।

अतः विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त सूचना के आलोक में ऑनलाइन से प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन में "Term of Assignment" की कांडिका - 4(vi) में निहित प्रावधान के आलोक में उपरोक्त कर्मी का नियोजन तत्काल प्राप्त से समाप्त किया जाता है।

(ज्यौ शिंह)
निदेशक 1/23
मू-अधिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक – 01 / भूआठनि(3)वि�0सर्व0अमीन(फर्जी अभिलेख)-30 / 2021(खड-2) 506

प्रतिलिपि :- विवरणी में आकित सभी विशेष सर्वेक्षण अमीनों को सूचनार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक – 18/10/2023

ज्ञापांक – 01 / भूआठनि(3)वि�0सर्व0अमीन(फर्जी अभिलेख)-30 / 2021(खड-2) 506

प्रतिलिपि :- बदोबस्त पदाधिकारी, बदोबस्त कार्यालय, लखीसराय एवं प०चमारण(बेतिया) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारबाई हेतु प्रेषित।

निवेदित किया जाता है कि :-

1. फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजित उपरोक्त सभी कर्मियों से अब तक भुगतान की गयी राशि की वसूली की कारबाई नियमानुसार की जाय।
2. उपरोक्त कर्मियों पर फर्जी कागजातों के आधार पर नियोजन प्राप्त करने एवं अन्य संगत आरोपों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज किया जाय।

निवेदक निवेदक
भू-अभिलेख एवं परिमाप/ 23

पटना, दिनांक – 18/10/2023

ज्ञापांक – 01 / भूआठनि(3)वि�0सर्व0अमीन(फर्जी अभिलेख)-30 / 2021(खड-2) 506

प्रतिलिपि :- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निवेदक निवेदक
भू-अभिलेख एवं परिमाप/ 23

निवेदक

निवेदक निवेदक
भू-अभिलेख एवं परिमाप/ 23